

छात्रवृत्ति पात्रता के नियम पिछड़ा वर्ग (OBC Students)

सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन हेतु

आधार कार्ड:— आधार कार्ड की जानकारी जिसमें नाम, पता एवं जन्म दिनांक वर्तमान मोबाईल नम्बर पूर्णतया सही हो। बैंक खाता जिसमें छात्रवृत्ति प्राप्त होनी हैं आधार से लिंक होना अनिवार्य है। बैंक खाते का आधार **Authentication** होना अनिवार्य है।

जाति प्रमाण पत्र:— जाति प्रमाण पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जारी डिजिटल हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।

समग्र परिवार आई. डी.:— प्रोफाईल पंजिकरण के समय समग्र परिवार आई. डी. एवं समग्र सदस्य आई. डी. की प्रविष्टि की जाना है। जिसमें सही नाम, परिवार मुखिया से संबंध, लिंग, पूर्ण जन्म दिनांक, जाति-उपजाति, विकलांगता स्थिति, माता-पिता का नाम, माता-पिता का व्यवसाय, बीपीएल स्थिति एवं छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक जानकारी दर्ज हो। सबसे महत्वपूर्ण समग्र डाटाबेस में "आधार नम्बर" की प्रविष्टि होना अनिवार्य है।

आय सीमा :-

क्र	श्रेणी वर्ग	आय सीमा	छात्रवृत्ति दर
1	2	3	4
	पिछड़ा वर्ग	आय सीमा रु.75000/- तक	निर्धारित दर से पूर्ण छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क

छात्रवृत्ति फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापित(Attested) करवाकर संलग्न करें अन्यथा आवेदन निरस्त हो जावेगा :-

- वर्तमान सत्र में आय का प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी एवं उसको साईट पर अपलोड करें।
- जाति का अनुविभागीय अधिकारी (एस.डी.एम.) वाला ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जारी डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी एवं उसको साईट पर अपलोड करें।
- म.प्र. के मूल निवासी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी ।
- दसवी एवं बारहवी उत्तीर्ण अंकसूची की फोटोकॉपी ।
- एडमिशन स्लिप की फोटोकॉपी ।
- यदि गेप हो तो गेप प्रमाण पत्र।
- राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते की फोटोकॉपी (जिसमें बैंक शाखा का नाम, बैंक का आय.एफ.एस.सी कोड एवं छात्र का बैंक खाता नंबर) होना जरूरी हैं। बैंक खाता जिसमें छात्रवृत्ति प्राप्त होनी हैं आधार से लिंक होना अनिवार्य है। कियोस्क बैंक खाता अस्विकार्य है।

8 छात्र-छात्रा द्वारा किसी भी एक ही छात्रवृत्ति योजना के लिये आवेदन भरा जा सकेगा।

9 प्रोफाईल पंजिकरण के संबंध में किसी भी प्रकार के परामर्श हेतु श्री विनोद रघुवंशी वरिष्ठ सलाहकार आई. टी. से मो. नं. 9329041624 पर सीधे संपर्क करें।

नोट :- आदिम जाति कल्याण विभाग तथा पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कक्षा में 75% से अधिक होना अनिवार्य है. यदि 75% से कम होगी तो छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी. जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। **मेनेजमेंट कोटे (IPS Quota) से प्रवेशित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।**

अनुमानित छात्रवृत्ति राशि :- रु. 28000 /- मात्र